

क्रि० मि० केश नं०- 265 / 17

अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थापित। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया की वैधानिक समयावधि बीत चुकी है।

अतः वाद की कार्यवाही आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत से समाप्त की जाती है।

सदस्य

1.

 03/19

2.

 09-05-19

3.

